उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन , TC-34 V-1, विभूति खड ,
गोमती नगर , लखनऊ (यू.पी.), पिन कोड:226010
टेलीफोन: , फैक्स: 2728108
ईमेल: uphrclko@yahoo.co.in, वेबसाइट: http://uphrc.up.nic.in/

Case No. 10035/24/55/2024 Date:03/10/2024

सेवा में,

THE SUPERINTENDENT OF POLICE
MIRZAPUR

अवगत कराना है की SADHANA TIWARI से प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना(प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 05/09/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :

I have perused the allegations made in the complaint of complainant Sadhana Tiwari. Keeping in view the nature of allegations made in the complaint it would be appropriate to send a copy of the complaint to the Superintendent of Police, Mirzapur who shall look into the matter and do the needful in accordance with law at his end with the intimation to the complainant. I have not expressed any opinion on the merit of the complainant's case. Subject to the above observations the complaint is finally disposed of.

SD/-
(Braj Bhushan)
Member
05/09/2024

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आवश्यक/समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(विधि अधिकारी/लिंक अधिकारी)

संलग्नक: यथोपरि

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

SADHANA TIWARI
SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, MIRZAPUR CITY
MIRZAPUR,UTTAR PRADESH,231001

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
जनपद मीरजापुर।

कृपया अपने पत्र संख्याःआयोग प्र0/पु0अ0नगर/सी-3(07)/2025 दिनांक 31.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग लखनऊ मे प्रचलित केस संख्याः10035/24/55/2025 दिनांकित 03.10.2024 के माध्यम से प्राप्त आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप—

विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के पिता के हिस्से की जमीन को अपने नाम वरासत करा लेना आदि कतिपय आरोप अंकित है।

जांच विवरण—

संदर्भित प्रकरण की जांच के क्रम मे सम्बन्धित का अभिकथन अंकित किया गया,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो का अवलोकन किया गया विवरण निम्नवत है—

1—बयान साधना तिवारी पत्नी ओमकारनाथ तिवारी निवासी सुरेकापूरम् कालोनी थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर बता रही है कि मेरा मायका भैसोड़ बलाय पहाड़ी थाना ड्रमण्डगंज मीरजापुर मे स्थित है। मेरे पिता सियाकान्त मिश्रा थे, जिनकी मै एकमात्र पुत्री हूँ। मेरे पिता की मृत्यु वर्ष 2001 मे हो गयी है। मेरे पिता के मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े पापा दयाशंकर व हरिप्रसाद मिश्रा द्वारा मेरा लालन पालन किया गया जिनके द्वारा मेरी शादी वर्ष 2012 मे कराने के पश्चात मेरे पिता के हिस्से की सारी जमीन अपने नाम करा लिया गया है। जबकि मेरे पिता के हिस्से की जमीन मे कुछ भी मुझे नही दिया गया और चोरी से सारी सम्पत्ति विपक्षीगण द्वारा अपने नाम कराया गया है। मै चाहती हूँ कि विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो तथा मेरे पिता के हिस्से की सम्पत्ति को मुझे दिलाया जाय।

2—बयान दयाशंकर मिश्र पुत्र स्व0 शम्भूसरण मिश्र निवासी भैसोड़ बलाय थाना ड्रमण्डगजं जनपद मीरजापुर बता रहे है कि साधना तिवारी मेरे सबसे छोटे भाई सियाकान्त मिश्र की पुत्री है। मेरे भाई की पुत्री साधना तिवारी जब 03 वर्ष की थी उसी समय मेरे पिता जी द्वारा अपने जीवनकाल मे ही हम तीनो भाईयो का आपसी बटवारा कर दिये थे, जिसके बाद हम तीनो भाई अपने अपने हिस्से मे रह रहे थे। मेरे छोटे भाई की मृत्यु से पूर्व उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा उनके हिस्से की सारी जमीन बेच दिये थे। जब मेरे भाई की मृत्यु हो गयी तो हम दोनो भाईयो द्वारा आवेदिका का लालन पालन किया तथा शादी विवाह किया। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी माता के नाम समस्त सम्पत्ति वरासत हो गया था। मेरी माता की मृत्यु उपरान्त उक्त जमीन हम दोनो भाईयो के नाम हो गयी। मेरे छोटे भाई का हिस्सा उनके दवा इलाज मे मेरे पिता जी द्वारा बेच दिया गया था। हम लोगो द्वारा अपने भाई का हिस्सा नही लिया गया है यदि आवेदिका को लगता है कि उसके पिता का हिस्सा बचा है तो अपने पिता के हिस्से से सम्बन्धित जमीन का कागज देकर अपने पिता की हिस्से की जमीन ले ले हमे कोई आपत्ति नही होगी।

अभिलेखीय साक्ष्य—

1—उद्धरण खतौनी दिनांक 10.12.2024 का अवलोकन।

समीक्षा—

आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी निवासी सुरेकापुरम् कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपो की जांच के क्रम मे सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से यह तथ्य संज्ञान मे आया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा

आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पुर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।

निष्कर्ष—

अबतक की तमामी जांच,सम्बन्धित के अंकित किये गये बयान,थाना ड्रमण्डगंज व राजस्व विभाग से प्राप्त आख्या / अभिलेखो के अवलोकन तथा अन्य श्रोतो से की गयी छानबीन / जानकारी से पाया गया कि आवेदिका के पिता आपस मे चार भाई थे, जिनकी करीब 60 विघा जमीन थी। विपक्षीगण हरिप्रसाद मिश्र व दयाशंकर मिश्र आवेदिका के बड़े पिता है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके पिता के हिस्से मे लगभग 15 विघा जमीन थी तथा आवेदिका के पिता का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज था। आवेदिका जब नाबालिग थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी थी।पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े पिता द्वारा उसका लालन पालन शादी व्याह कराया गया है। जिसके पश्चात उसके पिता के हिस्से की जमीन को विपक्षीगण द्वारा अपने नाम करा लिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे आवेदिका द्वारा राजस्व विभाग मे प्रार्थना पत्र दिया गया था,जिसके सम्बन्ध मे राजस्व विभाग द्वारा जाचं की गयी, राजस्व विभाग के जांच आख्या का अवलोकन किया गया जिसमे मुख्य रुप से अंकित है कि *आवेदिका के पिता सियाकान्त पुत्र शम्भू के नाम ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड़ मे कोई जमीन आवेदिका के पिता के नाम से नही है। अपितू आवेदिका के दादा शम्भू के नाम पुर्व मे भूमि थी जिसका वरासत हो चुका है। अब कोई वरासत करना विधिक नही है। यदि आवेदिका चाहती है तो वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।* राजस्व विभाग की आख्या व उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के पिता के नाम से ग्राम भैसोड़ बलाय पहाड (आवेदिका के मायका) मे कोई जमीन नही है। फिर भी आवेदिका को बताया गया कि वंश वृक्ष के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मे रा0सं0की धारा 34 के तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र मे लगाये गये अन्य आरोपो के सम्बन्ध मे कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नही पाये गये। *सुलभ संदर्भ हेतु राजस्व विभाग व उद्धरण खतौनी की छायाप्रति संलग्न है।*

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि

दिनांकःफरवरी ,2025

(अशोक कुमार सिंह)
क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर

प्रमाणित

रिपोर्ट थाना: ड्रमण्डगंज जनपद: मीरजापुर

सेवा में
श्रीमान् तहसीलदार महोदय
तहसील- लालगंज जनपद: मीरजापुर

विषय:- आवेदिका श्रीमती साधना तिवारी पत्नी ओमप्रकाश पाण्डेय/तिवारी ग्राम- सुरेखापुरम कालोनी रीवा रोड थाना: कटरा को० जनपद- मीरजापुर (मो०नं० 6387233091) के सम्बन्ध में आख्या। पत्रांक 953 दिनांक 4.07.2025

महोदय,

निवेदन है कि आवेदिका साधना तिवारी पत्र उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझ उ०नि० द्वारा जाँचोपरान्त रिपोर्ट दी गयी है कि आवेदिका के बाबा शम्भू शरण मिश्र के चार पुत्र क्रमशः दयाशंकर, हरिप्रसाद, शियाकान्त, शिवशंकर व दो पुत्री क्रमशः रानिया व प्रेमिया थी। आवेदिका के पिता शियाकान्त की मृत्यु सन् 2001 में हो गयी व आवेदिका के बाबा शम्भूशरण की मृत्यु सन् 2005 में हुई थी आवेदिका के बाबा शम्भूशरण के मृत्यु के पश्चात भूमि का वरासत दयाशंकर, हरिप्रसाद, शिवशंकर व रमादेइया पत्नी स्व० शम्भूशरण मिश्रा के नाम हो गयी आवेदिका अपने बाबा शम्भू शरण मिश्रा की सम्पत्ति में अपने पिता स्व० शियाकान्त के हिस्से की सम्पत्ति चाहती है उक्त प्रकरण का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है। आवेदिका को बार-बार अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे। आवेदिका द्वारा मा० राज्य सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ में भी अपील संख्या एस-09/ए/1668/2024 (पंजीकरण संख्या- ए-202409008916) अपील किया गया है। जिसमे दिनांक 29.05.2025 को तिथि नियत थी आवेदिका द्वारा माननीय पीठासीन अधिकारी सुनवाई कक्ष संख्या 09 माननीय राज्य सूचना आयोग 7/7A आर०टी०आई० भवन विभूतिखण्ड गोमती नगर लखनऊ में उपस्थित न होने के कारण आवेदिका साधना तिवारी के प्रार्थना पत्र को मा० राज्य सूचना आयोग द्वारा निक्षेपित कर दिया गया।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Fw submitted

23/7/25

(अखिलेश कुमार यादव) SI
थाना- ड्रमण्डगंज
जनपद- मीरजापुर

थाना-ड्रमण्डगंज जनपद-मीरजापुर